संख्या-22/2015-2457/58-2015-271/2015

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग- **लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर , 2015**

विषय: बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-रा0औ0मि0-3538/मु0म0विशेष पैकेज/ 2015-16, दिनांक 02 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में सिंचाई के साधन कम उपलब्ध हैं एवं यहॉ पर कम वर्षा के कारण परम्परागत फसलों की खेती की जाती है, जिससे कृषकों को अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में स्थानीय उपयुक्तता एवं अनुकूलता के आधार पर फलों के नवीन उद्यान विकसित किये जाने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी, फलों के उपभोग से पोषणीय सुरक्षा प्राप्त होगी तथा बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यांचल क्षेत्र में हरियाली से आच्छादन बढ़ेगा। इसके साथ ही फल वृक्षों से पर्यावर्णीय संतुलन में भी सहायता प्राप्त होगी। फलों के नवीन उद्यान स्थापित करने तथा उनके बीच में शाकभाजी मसाला एवं पुष्प फसलों की इन्टरक्रापिंग किये जाने से बागों के फलत में आने तक कृषकों को दीर्घकालीन एवं निरन्तर आय प्राप्त हो सकेगी। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्थानीय उपयुक्तता एवं अनुकूलता के आधार पर इस क्षेत्र में अमरूद, आम, आंवला, नींबू वर्गीय फल, बेर, बेल एवं अनार आदि फलदार पौधों के उद्यान विकसित किये जाने तथा पौधों की जीवितता सुनिश्चित किये जाने हेतु कृषक द्वारा अपनाये गये बागवानी क्रिया कलापों (नवीन उद्यान रोपण, इन्टरक्रापिंग, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, फैंसिंग आदि) के लिये कृषक को अनुदान देकर क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि एवं बागवानी फसलों के क्षेत्र में विस्तार किया जाय।

उक्त योजना का संचालन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :-

1- योजना के अन्तर्गत चयनित कार्यक्रम निम्नवत् चिन्हित किये गये हैं :-

(1) चयनित फलों आम, अमरूद, आंवला, बेल, बेर, नीबू वर्गीय फल एवं अनार के अन्तर्गत नये उद्यानों का रोपण।

http://srisandesh.up.nic.in

(2) नये बागों के रोपण के साथ तीन वर्ष तक अन्तराशस्य के रूप में सब्जी, मसाला एवं पुष्प की खेती को प्रोत्साहन।

(3) नव रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु फेंसिंग का कार्य कराया जाय।

उपरोक्तानुसार लाभार्थी कृषक द्वारा नवीन उद्यान रोपण कराने पर रोपित बागों में पौधों की जीवितता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से लाभार्थी कृषक को उसके द्वारा रोपित उद्यानों हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

(4) कृषकों को नव रोपित उद्यानों के सम्बन्ध में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2- योजना का क्रियान्वयन निम्नवत् किया जायेगा :-

(1) बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 10 जनपदों में योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपदीय उद्यान अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(2) लाभार्थी चयन तथा समय-समय पर लाभार्थी कृषकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराये जाने का कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।

(3) चयनित लाभार्थियों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु चयनित विकास खण्डों के प्रस्तावित संहत क्षेत्र (क्लस्टर) में फसल अवधि में एक दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(4) चयनित लाभार्थी के प्रक्षेत्र पर प्रस्तावित फल के उद्यान रोपण हेतु जिला उद्यान अधिकारी द्वारा उद्यान निरीक्षक नामित करते हुए बाग का रेखांकन कराया जायेगा।

(5) नवीन उद्यान रोपण हेतु पौधों की व्यवस्था, बाड़ (फेंसिंग), सिंचाई की व्यवस्था तथा बाग के रख-रखाव का कार्य लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा। साथ ही मानक के अनुसार शत-प्रतिशत पौधों की जीवितता लाभार्थी द्वारा ही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) नवीन उद्यान रोपण हेतु प्रति कृषक 0.2 हेक्टेयर से 1.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सीमा तक अनुमन्यता होगी। नवीन उद्यान रोपण संहत क्षेत्र (क्लस्टर अप्रोच) में सटे हुए क्षेत्र में न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्र तक के संहत क्षेत्र के रूप में कराया जायेगा। आगामी वर्षों में इन्हीं चयनित क्लस्टर्स में ही नवीन उद्यान रोपण कराकर क्लस्टर्स को न्यूनतम 25 हेक्टेयर तक विकसित कराये जाने का प्रयास किया जाये।

(7) अन्तराशस्य (इन्टरक्रापिंग) हेतु चयनित फसलों के बीजों की व्यवस्था लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं की जायेगी।

(8) योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों द्वारा रोपित कराये गये नवीन उद्यानों में मानक के अनुसार पौधों की जीवितता पाये जाने की स्थिति में लाभार्थी कृषक को प्रत्येक तीन माह में पौधों की जीवितता बनाये रखने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगी। प्रत्येक लाभार्थी के बाग का भौतिक सत्यापन विभागीय कर्मियों द्वारा किया जायेगा।

(9) प्रत्येक लाभार्थी के बाग का प्रत्येक तीन माह में भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा भौतिक सत्यापन में रोपित उद्यान में पौधों की जीवितता मानक के अनुसार पाये जाने की स्थिति में अधिकतम रू0-3000 प्रति माह प्रति हेक्टेयर की दर से केवल 36 माह तक लाभार्थी कृषक को प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर द्वारा प्रदान की जायेगी।

(10) प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित धनराशि का सदुपयोग लाभार्थी कृषकों को तकनीकी जानकारी सुलभ कराये जाने हेतु आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर नियमानुसार सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(11) लाभार्थियों का पूरा विवरण यथा-लाभार्थियों की संख्या, पात्रता, दी जाने वाली धनराशि, नाम व पता इत्यादि की सूची विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

3- लाभार्थी चयन हेतु पात्रता की शर्तें निम्नवत् होंगी :-

(1) लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी वांछित सूचनाओं, प्रमाण पत्रों तथा शपथ-पत्र सहित आवेदन किया गया हो तथा चयन वर्ष से पूर्व इस योजना के लिए लाभान्वित नहीं हुआ हो।

(2) लाभार्थी के पास उपयुक्त भूमि स्वयं के नाम सम्बन्धित ग्राम के राजस्व अभिलेखों मे दर्ज होनी चाहिए।

(3) भूमि यथा सम्भव सड़क के किनारे होनी चाहिए।

(4) सिंचाई की सुविधा लाभार्थी के पास स्वयं उपलब्ध होनी चाहिए।

(5) लाभार्थी को बागवानी से सम्बन्धित प्रारम्भिक तकनीकी जानकारी हो तथा लाभार्थी योजनान्तर्गत चिन्हित कार्यक्रमों को अपनाने हेतु जागरूक हो।

(6) लाभार्थी सम्बन्धित कार्यक्रम पर व्यय होने वाली धनराशि तथा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में सक्षम हो।

(7) लाभार्थी को योजनान्तर्गत बाग में रोपित पौधों की चौकीदारी व सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं वहन करना होगा।

(8) लाभार्थियों का चयन संहत क्षेत्रों (क्लस्टर) में किया जायेगा ताकि लाभार्थी कृषकों को विपणन, प्रसंस्करण आदि में सुविधा हो।

(9) लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र में बाग रोपण हेतु इंगित भूमि का निरीक्षण नामित उद्यान निरीक्षक द्वारा किया जायेगा और भूमि उपयुक्त पाये जाने पर ही चयन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- लाभार्थी चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

(1) लाभार्थी का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ एवं सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक है।

(2) सर्वप्रथम प्रचार-प्रसार माध्यमों से कृषकों को कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी दी जायेगी। तदुपरान्त इच्छुक कृषकों से एक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसके साथ कृषक होने का साक्ष्य (खतौनी की प्रति), रू0-10/-के स्टाम्प पर नोटरी शपथ-पत्र अवश्य संलग्न किया जायेगा।

(3) कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र सम्बन्धित योजना प्रभारी के स्थलीय निरीक्षण की आख्या/संस्तुति के उपरान्त जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जिन्हें प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर उनके पूर्ण पता सहित एक पंजिका में क्रमवद्ध रूप से अभिलिखित किया जायेगा।

(4) इस प्रकार प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्र वाले कृषकों की सूची जिला उद्यान अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिलाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। जिस पर जिलाधिकारी से प्राप्त अनुमोदन के उपरान्त जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कृषक को पत्र संख्या एवं दिनांक युक्त स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा, जिसे योजना का चयनित लाभार्थी माना जायेगा।

5- प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्रतिबन्ध एवं शर्ते :-

उपरोक्तानुसार चयनित लाभार्थियों को बाग लगाने के उपरान्त सम्बन्धित निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर निम्नांकित शर्तो के आधार पर प्रोत्साहन राशि देय होगी :-

(1) प्रोत्साहन राशि की धनराशि का भुगतान करने से पूर्व कार्यक्रम हेतु जिला उद्यान अधिकारी द्वारा नामित कर्मचारी द्वारा प्रत्येक तीन माह में रोपित पौधों की जीवितता का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान की संस्तुति की जायेगी।

(2) सम्बन्धित योजना प्रभारी द्वारा पौधों की जीवितता के सम्बन्ध में दी गयी सत्यापन रिपोर्ट की पुष्टि हेतु जनपद के अन्य कर्मचारी (यथा संभव वरिष्ठ) द्वारा सत्यापन कराया जायेगा तथा लाभार्थी के बाग का छायाचित्र भी लिया जायेगा, जिसे सत्यापन रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जायेगा। उक्त के आधार पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जायेगी।

(3) उद्यान रोपण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित योजना प्रभारी एवं एक अन्य वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा निरीक्षण/सत्यापन आख्या प्रस्तुत करने के बाद सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति के साथ प्रथम बार लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु पत्रावली जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगी। जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त लाभार्थी के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।

(4) आगामी त्रैमासों में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा उस माह की 07वीं तिथि तक सम्बन्धित कर्मचारियों के द्वारा लाभार्थी के उद्यानों का सत्यापन कराया जायेगा, जिसमें रोपित पौधों की जीवितता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। सत्यापन आख्या के आधार पर लाभार्थी को अनुमन्य प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा माह की 15वीं तिथि तक स्थानान्तरित करायी जायेगी।

(5) पौधों की जीवितता के सम्बन्ध में प्रेषित सत्यापन रिपोर्ट में यदि पौधों की जीवितता शत-प्रतिशत से कम पायी जाती है, तो लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्राप्त जीवितता प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा तथा लाभार्थी से मृत पौधे के स्थान पर नये पौधे रोपित कराकर शत-प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित कराने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

(6) यदि सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि लाभार्थी के द्वारा रोपित उद्यान में पौधों की जीवितता 50 प्रतिशत या उससे कम हो गयी है तथा लाभार्थी द्वारा मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों को रोपित कराकर बाग में शत-प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित करने में रूचि नहीं ली जा रही है, तो प्रोत्साहन राशि का भुगतान तत्काल रोक दिया जायेगा एवं तब तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा, जब तक लाभार्थी द्वारा रोपित पौधों की संख्या पूरी करके जीवितता सुनिश्चित नहीं की जायेगी, किन्तु बाग रोपण की प्रथम देयता की प्रोत्साहन राशि केवल 36 माह तक ही देय होगी, जिसमें उक्त गैप की अवधि को भी सम्मिलित किया जायेगा और गैप की अवधि की प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।

(7) लाभार्थी द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत अभिलेखों में गलत तथ्य प्रस्तुत करके अनुदान प्राप्त करने तथा पौधों की जीवितता सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में शत-प्रतिशत पौधे मृत पाये जाने की स्थिति में लाभार्थी को उपलब्ध कराई गयी प्रोत्साहन राशि की वसूली उसकी चल-अचल सम्पत्ति से नियमानुसार भू-राजस्व की भाँति जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(8) लाभार्थी द्वारा कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रतिबन्ध एवं शर्तो को माने जाने के आशय का नोटरी शपथ-पत्र निर्धारित स्टाम्प पेपर पर सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(9) प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु पारदर्शिता, वित्तीय नियमों एवं अन्य सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

कृपया उपरोक्तानुसार उक्त योजना का संचालन किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
सचिव।

संख्या-22/2015-2457(1)/58-2015, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मंत्री, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश।
(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in